न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 61/15 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2015/00325

उनवान

1. गीता देवी पत्नी श्री बाबू सिंह
2. लक्ष्मी देवी पत्नी श्री यादराम सिंह

} जाति गुर्जर निवासी बीनारायण गेट भरतपुर।

3. रघुनाथी पत्नी श्री नवल सिंह जाति गुर्जर निवासी बुद्ध की हाट भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. नक्षत्र सिंह पुत्र श्याम सिंह जाति सिक्ख निवासी बीसमोरा कुम्हेर गेट भरतपुर हाल निवासी मानगबाढ तहसील व जिला भरतपुर।
2. अशोक
3. बृजमोहन

} पुत्रान श्री कैलाशचन्द जाति वैश्य निवासी कुम्हेर गेट कमला रोड भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दि0 14.03.2015 मि.नं. 112/13 उनवानी गीता देवी बनाम नक्षत्र सिंह

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–29.01.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी स्थित ग्राम अघापुर तहसील भरतपुर को प्रतिवादी व उनके पूर्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

क्रेतागण अशोक व बृजमोहन से जरिये रजिस्टर्ड वयनामो से क्रय किया था। जिनका दाखिला खारिज संख्या 376, 377, 378 भी वादी अपीलाण्ट के नाम स्वीकृत हो चुका है। प्रतिवादी रैस्पो0 का विवादित आराजी के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। वह लुधियाना (पंजाब) में जाकर बस गये हैं। परन्तु खिलाफ कब्जा मौका व खिलाफ कानून आराजी पर प्रतिवादी के नाम की प्रविष्ठी खातेदारी हो रही है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर से प्रतिवादी रैस्पो0 का नाम कलमजन कर वादी अपीलाण्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से आंशिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 हाजिर अदालत नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर खसरा नम्बर 237, 238, 241, 244 के 1/2 भाग के संबंध में विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। यह है कि आराजी खसरा नम्बर 237, 238, 241 को अपीलाण्ट संख्या 01, 02, 03 ने समभाग प्रत्येक में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.06.1998 से अशोक उत्तरवादी रैस्पो0 संख्या 02 से क्रय किया है जिसके आधार नामान्तकरण संख्या 177 दिनांक 27.06.1998 को समस्या समाधान शिविर अघापुर में स्वीकृत किया जा चुका है इस प्रकार अपीलाण्ट को इस आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं नाम नामान्तकरण के द्वारा राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है। खसरा नम्बर 243, 244 के 1/2 भाग को रैस्पो0 संख्या 01 से दिनांक 03.05.2000 को अपीलाण्ट संख्या 02 ने क्रय किया है जिसके आधार पर भी नामान्तकरण अपीलाण्ट संख्या 02 के हक में स्वीकृत हो चुका है। इस प्रकार खसरा नम्बर 236 का विक्रय पत्र अपीलाण्ट संख्या 02 के हक में रैस्पो0 संख्या 01 द्वारा दिनांक 20.06.1998 को निष्पादित किया है जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 176 दिनांक 27.06.1998 को स्वीकृत हो चुका है। इस प्रकार आराजी विक्रय पत्रो के अनुसार अपीलाण्ट केवल अपने नाम खातेदारी की घोषणा कराने व राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कराने के अधिकारी हैं। अशोक व बृजमोहन को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना इसलिये जरूरी नहीं था क्योकि उनके नाम विक्रय पत्र ही हुये नामान्तकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

स्वीकृत नहीं हुये थे उनके विक्रय पत्रो से सीधे ही वयनामा अपीलाण्ट के नाम निष्पादित कराया था जिनके आधार पर बाद में अपीलाण्ट के हक में नामान्तकरण संख्या 176, 177, 198 स्वीकृत किये गये व चूंकि राजस्व अभिलेख में गलती से इन्द्राज खातेदारी रैस्पो० संख्या 01 के नाम हो रहे थे इसलिये उपरोक्त नामान्तकरणो का राजस्व अभिलेख में अमल नहीं हो सका था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। वादी अपीलाण्ट ने हस्तगत अपील में खसरा नम्बर 237, 238, 241, 244 के 1/2 भाग बाबत् अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत् अनुतोष चाहा है। हम पाते हैं कि खसरा नम्बर 237, 238, 241 किता 3 कुल रकवा 75 एयर वाके ग्राम अघापुर अपीलाण्ट संख्या 01 लगायत 03 ने रैस्पो० संख्या 02 से दिनांक 23.06.1998 को रजिस्टर्ड वयनामा से क्रय किया जाना प्रमाणित है। अतः अपीलाण्ट संख्या 01 लगायत 03 को खसरा नम्बर 237, 238, 241 पर हो रहे वर्तमान इन्द्राजो को कलमजन कर वहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 243 व 244 किता 2 कुल रकवा 27 एयर का 1/2 हिस्सा दिनांक 03.05.2000 को अपीलाण्ट संख्या 02 द्वारा क्रय किया जाना प्रमाणित है। परन्तु खसरा नम्बर 243 वादी अपीलाण्ट द्वारा वाद पत्र में कही भी अंकित नहीं किया गया है व खसरा नम्बर 244 के 1/2 हिस्सा को ही क्रय किया जाना वयनामा से प्रमाणित है। अतः उक्त खसरा नम्बर के शेष हिस्से बाबत् अपीलाण्ट कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 237, 238, 241 किता 3 कुल रकवा 75 एयर वाके ग्राम अघापुर पर अपीलाण्ट संख्या 01 लगायत 03 को वहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 244/0.13 है० के शेष हिस्से 1/2 पर प्रविष्टियॉ यथावत रहेंगी। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

29.01.2024
(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर